न्यायालय न्यायनिर्णन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी — श्री मुरारी लाल शर्मा
मुकदमा नम्बर : 45/2023 — आर.ए.एस

श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला झुन्झुनू।
बनाम
श्री पवन कुमार पुत्र श्री राधेश्याम केजरीवाल, मैसर्स राधेश्याम मुकेश कुमार, बैंक वाली गली मैन मार्केट, गुढा गौड़जी, झुन्झुनू।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित धारा नियम 2011

उपस्थितिः–
1. आवेदक की ओर से ....आवेदक स्वयं।
2. अनावेदक की ओर से ....अनावेदक स्वयं।

–निर्णय–

दिनांक : 28.08..2023

श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू ने एक प्रार्थना पत्र एफ.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जो सक्षेंप में निम्न प्रकार है :– कि आवेदक श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू में कार्यरत है। आवेदक को राज्य सरकार द्वारा बतौर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला झुन्झुनू का समस्त क्षेत्र आंवटित हुआ है। आवेदक द्वारा अपना कर्तव्य पालन करते हुए दिनांक 26.04.2023 को मैसर्स राधेश्याम मुकेश कुमार, बैंक वाली गली, मैन मार्केट, गुढा गौड़जी, जिला झुन्झुनू का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण दुकान पर अनावेदक श्री पवन कुमार पुत्र श्री राधेश्याम केजरीवाल उपस्थित मिला जिसने स्वयं को दुकान का विक्रेता होना जाहिर किया। जिस पर अनावेदक से खाद्य पदार्थ लाइसेंस दिखाने के लिए कहा गया तो अनोवदक ने खाद्य सुरक्षा लाईसेंस होना जाहिर किया।

निरीक्षण के दौरान उक्त दुकान पर एक प्लास्टिक के डिब्बे में लगभग 05 किलोग्राम खाद्य प्रदार्थ मिर्च पाउडर (लूज) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें मिलावट का शक होने पर उक्त खाद्य प्रदार्थ मिर्च पाउडर (लूज) में से सैम्पल लिया गया। सैम्पल को जांच हेतु भिजवाया जाने की प्रक्रिया पूरी कर सैम्पलो पर गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर अनावेदक व गवाहन को पढकर सुनाया तथा समझाया जाकर फर्द पर अनावेदक तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद पैक सैम्पल को खाद्य विश्लेषक जयपुर को

भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (लूज) के Contravenes Regulation No.2.3.14(15) FSS (Prohibition and Restricition on Sales Because it Sold in Loose Condition) आने पर प्रार्थना पत्र तैयार कर सैम्पल लेते समय की गई समस्त कार्यवाही के दस्तावेज तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न कर प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदक को प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि सहित तलबी जारी की गई। जिस पर अनावेदक ने स्वयं उपस्थित होकर अपना लिखित जबाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रार्थना पत्र में बहस अन्तिम सुनी गई।

अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि उसकी बैंक वाली गली मैन मार्केट गुढा गौड़जी झुन्झुनू में राधेश्याम मुकेश कुमार के नाम से दुकान है। जहां वह मसाले एवं अन्य किराणा सामान का बेचान करता है। उसकी दुकान से मिर्च पाउडर (लूज) का सैम्पल लिया गया था जो कि Contravenes Regulation No.2.3.14(15) FSS (Prohibition and Restricition on Sales Because it Sold in Loose Condition) पाया गया है। अनावेदक का कथन है कि वह आगे से खुली मिर्च का बेचान करना बन्द कर दिया है। अतः उसके विरूद्ध प्रकरण ड्रॉप किया जाये।

मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (V) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब व बहस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 **एल.एस./1716/एक्ट/2022/1727 दिनांक 11.05.2023** के अनुसार खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (लूज) का सैम्पल लिया गया था जो Contravenes Regulation No.2.3.14(15) FSS (Prohibition and Restricition on Sales Because it Sold in Loose Condition) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (V) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक स्वयं दुकान का मालिक है तथा खुले मिर्च पाउडर का बेचान करता है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (लूज) Contravenes Regulation No.2.3.14(15) FSS (Prohibition and Restricition on Sales Because it Sold in Loose Condition) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री पवन कुमार पुत्र श्री राधेश्याम केजरीवाल, बैंक वाली गली, मैन मार्केट गुढा गौड़जी, जिला झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2)

(V) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 20,000/— बीस हजार रूपये अर्थदण्ड/ जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28-8-2023
(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुन्झुनू।